

PRESS RELEASE

फिरोजाबाद पुलिस

दक्षिण पुलिस

दिनांक 07.11.2020

थाना दक्षिण पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 300/2020 धारा 302/201 भादवि मे नामित /वाच्छित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सचिन्द्र पटेल फिरोजाबाद महोदय के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निर्देशन में जनपद फिरोजाबाद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मु0अ0सं0 300/2020 धारा 302/201 भादवि में नामित / वाच्छित अभियुक्त बल्लू पुत्र रामभरोसी नि0 मालवीय नगर पेमेश्वर गेट थाना दक्षिण फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया है जिसने मृतक रामप्रकाश उर्फ पप्पू ऑपरेटर से लॉक डाउन के दौरान 3000 रुपये व सह-अभियुक्त कल्लू ने 4000 रुपये उधार लिये थे मृतक द्वारा रुपये माँगने व अभियुक्त द्वारा रुपये वापस न करने को लेकर अपमानित किया था जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त द्वारा अपने सह-अभियुक्त विजय उर्फ कल्लू के साथ मृतक रामप्रकाश उर्फ पप्पू ऑपरेटर को उसके घर से बुलाकर ले जाकर कन्हैया नगर पॉवर हाउस के सामने रात्रि में सुनसान स्थान पर हत्या कर देने का जुर्म इकबाल किया है ।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त

1. बल्लू पुत्र रामभरोसी नि0 मालवीय नगर पेमेश्वर गेट थाना दक्षिण फिरोजाबाद उम्र – 23 वर्ष



अभि0गणों आपराधिक इतिहास

1. 300/2020 धारा 302/201 भादवि थाना दक्षिण फिरोजाबाद

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. SHO श्री श्याम सिंह थाना दक्षिण फिरोजाबाद
2. HCP लक्ष्मी नारायण थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।
3. का0 713 खेमराज थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।
4. का0 235 विजय परमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।

